न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:–02/2022 दायर दिनांक:– 22.06.2023

जीसीएमएस नं. 2023/209

1. किशोर पुत्र फूसिया
2. केशन्ती पुत्री फूसिया
3. गुलाब पुत्री फूसिया
4. रमेशी पुत्री फूसिया
5. कुसवा पुत्री फूसिया

सभी जातियान जाटवान निवासी दानालपुर तहसील–श्रीमहावीरजी, जिला–करौली

—अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत पटोंदा जरिये सरपंच, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामांतकरण नम्बरी 1244 तारीखी 18.08.2022 तस्दीक दिनांक 22.08.2022, ग्राम पंचायत पटोंदा, पचायत श्रीमहावीरजी, जिला–करौली (राज0)

उपस्थित –1.पुरूषोत्तम गोयल अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय

दिनांक:–12.04.2024

प्रार्थना–पत्र अपीलान्ट खाता संख्या 37 का खसरा नम्बर 128 रकवा 33 ऐयर स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में अपीलान्ट की मॉ बुद्धो पत्नि फूसिया, जाति जाटव हिस्सा 1/24 की खातेदारी काश्तकार रही हैं।

अपीलान्ट खाता संख्या 39 का खसरा नम्बर 336 रकवा 3 ऐयर स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में अपीलान्ट्स की मॉ बुद्धो पत्नि फूसिया, जाति जाटव हिस्सा 1/60 की खातेदार काश्तकार रही हैं।

अपीलान्ट खाता संख्या 612 की आराजी खसरा नम्बर 314 रकवा 8 ऐयर, 315 रकवा 36 ऐयर, 320 रकवा 77 ऐयर, 321 रकवा 29 ऐयर, 322 रकवा 61 एयर, 323 रकवा 52 ऐयर, 324 रकवा 50 ऐयर, 325 रकवा 14 ऐयर, 326 रकवा 36 ऐयर, 327 रकवा 34 ऐयर, 328 रकवा 30 ऐयर, 344 रवा 9 ऐयर कुल किता 12 कुल रकवा 4.36 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में अपीलान्ट्स की मॉ बुद्धो पत्नि फूसिया, जाति जाटव हिस्सा 1/60 की खातेदार काश्तकार रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:11:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अपीलान्ट आराजीयात मुतजिकरा मद नम्बर 01 ता ... अपीलान्ट की मॉ बुद्धो पत्नि फूसिया संयुक्त खातेदार काश्तकार रही ... अपीलान्ट की मा बुद्धो का स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट ही उसके विधिक वारिस हैं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

और उक्त आराजीयात में सके तर्के पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग संयुक्त रूप से करते चले आ रहे हैं।

अपीलान्ट की माँ बुद्धो पत्नि फूसिया का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट की विरासत का अपीलाधीन नामांतकरण खोलते सयमय अपीलान्ट की ल्दियत विधि विरूद्ध तरीके से बुद्धो दर्ज कर दी, जबकि मुताबिक कानून अपीलान्टस हिन्दू हैं और विरासतीय अधिकार से अपीलान्टस की वल्दियत पटवारी हल्का को उनकी माँ के स्थान पर उनके पिता फूसिया की दर्ज करनी चाहिए थी, मगर संबंधित पटवारी हल्का ने उक्त अपीलाधीन नामांतकरण को खेलते समय अपीलान्टस की वल्दियत विधि विरूद्ध तरीक से फूसिया के स्थान पर बुद्धो दर्ज कर दी, इसलिए उक्त नामांतकरण खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्ट बुद्धो पत्नि फूसिया की कोई पुत्री सुआबाई नहीं थी, बल्कि उसका सही नाम कुसवा देवी पुत्री फूसिया है तथा उसके आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी उसका सही नाम समवादेवी है तथास कुसवा देवी को घर पर प्यार से सूआबाई कहते थे, मगर पटवारी हल्का ने उक्त अपीलाधीन नामांतकरण खोलते समय बिना रिकॉर्ड देखे गलत तरीके से कुसवा देवी के स्थान पार सूआबाई का नाम अंकित कर दिया, जबकि वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड में सूआबाई न होकर सही नाम कुसवा देवी पुत्री फूसिया है, इसलिए भी उक्त नामांतकरण खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने उक्त नामांतकरण खोलते समय गुलाब को बुद्धो का गलत तरीके से पुत्र बताकर उसकी बल्दियत विधि विरूद्ध रूप से बुद्धो दर्ज कर दी, जबकि गुलाब पुत्र ना होकर पुत्री है, तथा मुताबिक कानून उसकी ल्दियत बुद्धो ना होकर फूसिया है जो कि उसके आधार कार्ड से स्पष्ट है, मगर पटवारी हल्का ने उक्त संपूर्ण स्थिति की बिना जॉच–पडताल किये बिना रिकॉर्ड देखे विधि विरूद्ध रू० से उक्त नामांतकरण भरकर पेश कर दिया और उक्त सम्पूर्ण स्थिति को इग्नोर करते हुए रैस्पोडेन्ट ने उक्त नामांतकरण को विधि विरूद्ध रू० से तस्दीक कर दिया , इसलिए उक्त नामांतकरण खिलाफ कानून होने से निरस्त किय जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी ऋण लेने हेतु दिनों 28.03.2023 को जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो जमाबंदी में उक्त नामांतकरण के आधार पर अपीलान्टस की ल्दियत व अपीलान्ट नम्बर 05 का नाम तथा अपीलान्ट नम्बर 03 को पुत्री के स्थान पर पुत्र अंकित देखकर अपीलान्टस हक्के–बक्के रह गये। उक्त स्थिति की जानकारी हेतु अपीलान्ट ने विरासत के अपीनाधीन नामांतकरण की नकल दिनांक 13.04.2023 को निकलवाई तो उक्त नामांतकरण को देखकर उसके गलत भरे जाकर तस्दकी होने की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्टस को इस बावत् कोई जानकारी नहीं थी तथा अपीलान्टस द्वारा हल्म की तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है।

अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण निरस्त फरमाया जाकर उक्त नामांतकरण अपीलान्ट्स की सही वल्दियत, सही नाम दर्ज करते हुए पनः खोला जाकर तस्दीक किये जाने हेतु रैस्पोडेन्ट को रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned with CamScanner

सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 21.03.2024 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 खाता संख्या 39, नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 खाता संख्या 612, नकल जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 37, नकल नामान्तकरण सं0 1244 फैंसल दिनांक 18.08.2022 पेश किये हैं। एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट पेश कि जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

1. यह है कि ग्राम पटोंदा के खाता संख्या 37, 39, 612 में आवेदक किशोर द्वारा बताया है कि अपनी माता बुद्धो की विरासत दर्ज करते समय सभी वारिसान की वलदियत पिता (फूसिया) के बजाय माता बुद्धो दर्ज कर दी गई है। जो सही है श्रीमान सभी खातों में वारिसान मृतक बुद्धो के आगे माता बुद्धो के बजाय पिता फूसिया किया जाना उचित है।
2. यह है कि आवेदक द्वारा सुआबाई (पुत्री) के बजाय कुसवादेवी हेतु आवेदन किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न है। अतः उक्त खातों सुआबाई के बजाय कुसवादेवी किया जाना उचित है।
3. यह है कि आवेदक द्वारा उक्त खातों में गुलाब पुत्र की बजाय पुत्री हेतु निवेदन किया है जो सही है उक्त खातों में गुलाब पुत्र की बजाय पुत्री किया जाना उचित है।

रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 39 के आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी केशन्ती पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/300, किशोर पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/300, गुलाब पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/300, रमेशी पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/300, सुआबाई पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/300, सुआबाई पुत्री फूसिया हिस्सा 1/60 जातियान जाटव सा. दानालपुर खातेदार, जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या 612 के खसरा नं0 314 रकवा 0.08 है0 खसरा नं0 315 रकवा 0.36 है0, खसरा नं0 320 रकवा 0.77 है0, खसरा नं0 321 रकवा 0.29 है0, खसरा नं0 322 रकवा 0.61 है0, खसरा नं0 323 रकवा 0.52 है0, 324 रकवा 0.50 है0, 325 रकवा 0.14 है0, 326 रकवा 0.36 है0, 327 रकवा 0.34 है0, 328 रकवा 0.30 है0, 344 रकवा 0.09 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी केशन्ती पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/300 जाति, किशोर पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/300, गुलाब पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/300, रमेशी पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/300, सुआबाई पुत्री बु[illegible] 1/300, सुआबाई पुत्री फूसिया हिस्सा 1/60 जातियान जाटव सा. [illegible] खातेदार, जमाबन्दी संवत 2073–76 के अनुसार खाता संख्या 37 के आराजी [illegible] नं0 128 रकवा 0.33 है0 की खातेदारी केशन्ती पुत्री बु[illegible] 1/120, [illegible] पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/120, गुलाब पुत्र बुद्धो हिस्सा 1/120, रमेशी पुत्री बुद्[illegible]हिस्सा 1/120, सुआबाई पुत्री बुद्धो हिस्सा 1/120, सुआबाई पुत्री फूसिया हिस्सा 1/24 जातियान जाटव सा. दानालपुर खातेदार, निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौ...

Scanned with CamScanner

नकल नामान्तकरण सं0 1244 फैंसल दिनांक 18.08.2022 के अनुसार आराजी नकल जमाबन्दी सं0 2073—76 के अनुसार खाता संख्या 39 के आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 0.03 है0, जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 612 के खसरा नं0 314 रकवा 0.08 है0 खसरा नं0 315 रकवा 0.36 है0, खसरा नं0 320 रकवा 0.77 है0, खसरा नं0 321 रकवा 0.29 है0, खसरा नं0 322 रकवा 0.61 है0, खसरा नं0 323 रकवा 0.52 है0, 324 रकवा 0.50 है0, 325 रकवा 0.14 है0, 326 रकवा 0.36 है0, 327 रकवा 0.34 है0, 328 रकवा 0.30 है0, 344 रकवा 0.09 है0, जमाबन्दी संवत 2073—76 के अनुसार खाता संख्या 37 के आराजी खसरा नं0 128 रकवा 0.33 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी के खातेदार केशन्ती पुत्री बुद्धो, किशोर पुत्र बुद्धो, गुलाब पुत्र बुद्धो, रमेशी पुत्री बुद्धो, सुआबाई पुत्री बुद्धो, सुआबाई पुत्री फूसिया दर्ज रिकॉर्ड हैं जबकि अपीलान्टीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारों की हिस्सेदारी तो सही है लेकिन नामांतकरण संख्या 1244 दिनांक 18.08.2022 में केशन्ती पुत्री फूसिया के स्थान पर केशन्ती पुत्री बुद्धो, किशोर पुत्र फूसिया के स्थान पर किशोर पुत्र बुद्धो, गुलाब पुत्री फूसिया के स्थान पर गुलाब पुत्र बुद्धो, रमेशी पुत्री फूसिया के स्थान पर रमेशी पुत्री बुद्धो, कुसवा पुत्री फूसिया के स्थान पर सुआबाई पुत्री बुद्धो एवं सुआबाई पुत्री फूसिया दर्ज रिकॉर्ड हो गया है। प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दुओं पर तहसीलदार श्रीमहावीरजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 7.2.24 में भी अपीलान्टी द्वारा अपील में चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही खाता संख्या 37, 39, 612 में बारिसान की वल्दियत माता बुद्धो के बजाय पिता फूसिया, सुआबाई के बजाय कुसमादेवी, गुलाब पुत्र की बजाय पुत्री करने की अभिशंषा की गई है। अतःतहसीलदार श्रीमहावीरजी की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2024 एवं वादपत्र में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1244 फैंसल दिनांक 18.08.2022 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 1244 फैंसल दिनांक 18.08.2022 ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार श्रीमहावीरजी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 12/4/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:11:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner